

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2017/भाद्र 29, 1939

No. 372]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2017/ BHADRA 29, 1939

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 20 सितम्बर, 2017

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2017-18/ 018 .—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, इंडियन क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, 25वीं मंज़िल, पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 के विनियम 12 के अधीन मान्यता का नवीकरण प्रदान करने के आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समाशोधन निगम को मान्यता 3 अक्तूबर, 2017 को प्रारंभ होने वाले और 2 अक्तूबर, 2020 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए, इसमें नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाएँ के अधीन, प्रदान करता है:

- समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा।

माधवी पुरी बुच, पूर्णकालिक सदस्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./240/17]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 20th September, 2017

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/018.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of renewal of recognition under Regulation 12 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 by Indian Clearing Corporation Limited, Floor 25, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001 and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, recognition to the said clearing corporation for three years commencing on the 3rd day of October, 2017 and ending on the 2nd day of October, 2020 subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Clearing Corporation shall comply with conditions specified by SEBI from time to time.

MADHABI PURI BUCH, Whole Time Member Securities and Exchange Board of India

[ADVT.-III/4/Exty./240/17]